

**Volume 1; Issue 2**  
**April to Jun 2025**

**E-ISSN: 3049-1134**

# **International Journal of Political Studies**

**Peer Review**

**Indexed**

**Refereed Journal**

**Quarterly International Research Journal**



## महिला हिंसा और अपराध की स्थिति का अध्ययन: उत्तर-प्रदेश के विशेष संदर्भ में

रामचन्द्र

शोध-छात्र

स्त्री अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,

वर्धा, महाराष्ट्र

Email: [ramchandra.mgahv@gmail.com](mailto:ramchandra.mgahv@gmail.com)

---

### सारांश

वैश्विक स्तर पर महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध चिंता का विषय है। लेकिन भारत में यह खतरनाक स्थिति में है। विशेषकर उत्तर-प्रदेश में हर वर्ष महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध के मामलों में भारी पैमाने पर वृद्धि देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने 2021 में देश में सबसे अधिक अपराधों का सामना किया है। यूपी के हाथरस, लखीमपुर और फाफामऊ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली यौन-उत्पीड़न की घटनाओं में पितृसत्तात्मक राज्य मशीनरी का महिला-विरोधी चरित्र भी देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पर भारत एवं NCRB के आंकड़ों के मुताबित उत्तर-प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगहों में से एक है। इस शोध-पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य उत्तर-प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में हो रही वृद्धि के पैटर्न व प्रवृत्ति को प्रदर्शित करना है। महिलाओं पर हिंसा और अपराध की घटनाओं पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण द्वितीयक सामग्री (NCRB, NCW व जनगणना रिपोर्ट आदि) के आधार पर किया जाएगा।

**मुख्य शब्द:** हिंसा, अपराध, महिलाएं, उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी, एनसीडबल्यू

---

## परिचय

मानव सभ्यता के विकास क्रम में हमें देखने को मिलता है कि सभ्यता के विकास के साथ ही साथ पितृसत्ता का भी विकास हुआ है। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जैसे-जैसे मनुष्य का विकास हुआ है वैसे- वैसे पितृसत्ता के भी विविध रूप देखने को मिलते हैं। महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध को हम पितृसत्ता के क्रूरतम रूप में समझ सकते हैं। भारत सहित वैश्विक स्तर पर महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध आम बात है। समाज में इसके विविध रूप देखने को मिलते हैं। वही भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही भयावह रूप में देखने को मिलती है जबकि भारत को भारत की सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। समाज में यह बात सिर्फ पौराणिक किताबों की शोभा बढ़ाने के लिए लागू होती है। व्यवहारिक स्तर पर समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक विपरीत स्थिति में देखने को मिलती है। दूसरी तरफ तुलसीदास अपनी रचना रामचरित मानस में लिखते हैं कि “ढोल गंवार शुद्र पशु नारी यह सब ताडन के अधिकारी” और भारतीय सनातन संस्कृति के संविधान निर्माता मनु के अनुसार महिलाएं स्वतंत्र रखने योग्य नहीं हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें पुरुषों (पिता, भाई, पति और पुत्र) के संरक्षण में ही रखा जाना चाहिए।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में पौराणिक ग्रंथों को समझे बिना हम वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि रामायण में सीता को अग्नि परीक्षा व महाभारत में द्रौपदी तक को चीरहरण के दंश का सामना करना पड़ा था।

भारतीय समाज के सामाजिक ढांचे में आज भी इन पौराणिक ग्रंथों व इनके विचारों और कथनों का प्रभाव व्याप्त है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था होने के कारण महिलाओं को समाज में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए परचम स्थापित कर रही हैं। महिलाएं शिक्षा तकनीकी में भी आगे बढ़ रही हैं। यह महिलाएं वर्तमान समय में पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे को चुनौती देने का काम कर रही हैं। जिससे भयभीत होकर यह पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को नियंत्रित करने व दबाने लिए हिंसा व अपराध के विविध रूपों को अपनाकर भय व आतंक का माहौल पैदा करता है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। वही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वर्तमान समय में उत्तर-प्रदेश में

महिलाओं के साथ समय अधिकतर घटनाओं में राज्य मशीनरी व न्यायालय का क्रूरतम रूप देखने को मिल रहा है। जिसमें राज्य की पुलिस व निचली अदालतें एवं सर्वोच्च न्यायालय तक भी कई मामले में अपराधी को संरक्षण प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ता है। महिला विरोधी ट्रेंड को भी गंभीरता से समझना बहुत जरूरी हो गया है। जबकि महिलाओं के संरक्षण व अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं व अन्य कानून बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। यह एक चिंता का विषय है। महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध के विविध रूप देखने को मिलते हैं। जिसमें यौन उत्पीड़न, घरेलू-हिंसा, मैरिटल रेप, दहेज उत्पीड़न, साइबर क्राइम आदि प्रमुख हैं।

### **सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध की घटनाएं**

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2022 में महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध की 30957 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2021 में 30800 व वर्ष 2020 में 23700 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसमें वर्ष 2022 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक लगभग 54.5

प्रतिशत (16872 मामले) शिकायतें उत्तर प्रदेश से, 3004 शिकायतें दिल्ली से, 1381 शिकायतें महाराष्ट्र से, 1368 शिकायतें बिहार से और 1362 शिकायतें हरियाणा से आई थीं। एनसीडब्ल्यू को महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध की शिकायतें के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 56083 मामले महिलाओं के साथ हिंसा अपराध के दर्ज हुए हैं जबकि 2020 में 49388 मामले दर्ज हुए थे। एनसीआईआरबी 2021 के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध के मामले में सबसे अव्वल स्थिति में है। राजस्थान 40738 मामले के साथ दूसरे स्थान पर व 39526 मामलों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 153 महिलाएं गैंगरेप, छेड़खानी व हिंसा का सामना करती हैं। गैंगरेप के मामलों में उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर है। NCRB 2021 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने सबसे अधिक अपराध का सामना किया है। MOSPI 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2016 से 2021 तक के एनसीआरबी आंकड़ों के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध व हिंसा के 22.8 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जिसमें लगभग 7 लाख यानी 30%

मामले घरेलू हिंसा यानी आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज किए गए थे।

## उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा व अपराध के प्रमुख मामले

### 1. हाथरस गैंगरेप केस

14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ उसके गांव के उच्च जाति के कुछ नवयुवकों ने सामूहिक बलात्कार कर जान से मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद पीड़ित को गंभीर हालत में सदर अस्पताल से रेफर कर दिल्ली में स्थित सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके 15 दिन बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। जिसमें पीड़िता के गले व रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। पीड़िता की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की यूपी पुलिस ने पीड़िता के माता-पिता की अनुमति के बगैर रात के 2:30 बजे पेट्रोल डालकर पीड़िता के शव को जला दिया था। इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ देशभर में विरोध दर्ज हुए थे। जिससे आनन-फानन में पुलिस प्रशासन ने दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के परिवार को पच्चीस

लाख रुपये, एक मकान और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को सिर्फ मुआवजे की ही राशि मुहैया करवाई गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित परिवार घटना के 1 साल बाद भी उच्च जाति के लोगों से भयभीत व डरा और हुआ है अपने ही घर में जेल की तरह कैद रहने को विवश है। उन्हें डर है कि सीआरपीएफ की सुरक्षा हटने के बाद क्या होगी? इसकी कल्पना करना ही बहुत भयावह है। अभी हाल में ही इस केस में कोर्ट के आदेश से एक नया मोड़ आ गया है जिसमें तीनों आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। एक मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा तथा ₹50000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अन्य चारों अपराधियों में से किसी एक पर भी गैंगरेप का आरोप नहीं सिद्ध हो सका है।

### 2. लखीमपुर गैंगरेप केस

सितंबर 2022 में यूपी के लखीमपुर जिले के एक गांव में दो नाबालिग दलित बहनों का घर से अपहरण किया जाता है। उनके साथ गैंगरेप करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को पेड़ में लटका दिया जाता है जिससे गैंग रेप कर इनकी सामूहिक हत्या को आत्महत्या माना जाए। लेकिन इस केस में भी यूपी पुलिस का गैर

जिम्मेदाराना व उदासीन रवैया देखने को मिलता है। इस केस में छः अभियुक्तों गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस प्रशासन पर इस क्रस में भी परिवार के सहमत के बगैर शव का पंचनामा कर जबरन पोस्टमार्टम कराने की बात सामने आयी थी।

लखीमपुर जिले में एक अन्य घटना में 13 वर्ष की दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप कर नृशंश हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसकी आंखें फोड़कर और लड़की की जुबान काटकर उसके शव में फँदा डालकर उसे गन्ने के खेत में घसीटा जाता है।

### 3. उन्नाव गैंगरेप केस

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ फरवरी 2022 में सामूहिक बलात्कार किया किया जाता है। जिससे वह गर्भवती हो जाती है एवं बाद में पीड़िता इस बच्चे को जन्म देती है। गैंगरेप के आरोपियों के द्वारा पीड़िता व उसके परिवार के लोगों को लगातार केस वापस लेने की धमकी देते हुए दबाव बनाया जाता है। लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा केस वापस न लेने की वजह से जमानत पर छूटे दो आरोपियों के द्वारा 18 अप्रैल 2023 को पीड़िता के नवजात शिशु को जला देने की नियत से घर में आग लगा दी जाती है। जिससे पीड़िता का नवजात शिशु व उसकी नवजात बहन गंभीर रूप से जल जाते हैं। घर में आग लगा देने की

घटना के कुछ दिनों पहले ही पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया गया था। अन्य घटनाओं की तरह इस मामले में भी योगी सरकार का उदासीन रवैया देखने को मिलता है।

### 4. मुजफ्फरनगर गैंगरेप केस

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल के 10 वर्षीय लड़का 3 साल की बच्ची को स्कूल की छत पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देता है। यह घटना बहुत ज्यादा भयभीत कर देने वाली है, साथ ही साथ यह भी सोचने को मजबूर करती है कि हम समाज में महिलाओं के प्रति कैसा माहौल बना रहे हैं? जिससे छोटी उम्र के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। आखिरकार हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं?

### 5. फाफामऊ प्रयागराज

नवंबर 2021 में फाफामऊ के गोहरी गांव में जमीनी विवाद की वजह से एक दलित परिवार के चार सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई थी। स्थानीय महिलाओं के अनुसार उस परिवार की दो महिलाओं मां और बेटी के शवों से कपड़े अस्त-व्यस्त अवस्था में पाए गए थे। बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में पाया गया था। इस केस में भी इन दोनों महिलाओं का गैंग रेप कर हत्या की गई थी।

स्थानीय लोगों और समाचार पत्रों के अनुसार पुलिस खुलेआम आरोपियों को संरक्षण प्रदान कर रही थी। जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि आरोपी उच्च जाति(ठाकुर समुदाय) से आते थे। राजनीतिक सत्ता में उनकी पहुंच होने के कारण उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा था।

## 6. एंटी रोमियो स्क्वायड

महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के आते ही योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया था। स्क्वायड अपने नाम से ही महिला विरोधी व सामंती है। इस स्क्वायड का गठन ही इस सोच के साथ किया गया था कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। वह आजादी से पार्क में नहीं घूम सकते हैं और न ही सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में एकांत जगह पर बैठ कर बातें नहीं कर सकते हैं। उनका यह करना अनैतिक माना जाएगा। यह स्क्वायड लड़के लड़कियों की आजादी को छीनने वाला व महिला विरोधी पितृसत्तात्मक परंपरागत सोच को पोषित करने वाला था। यह स्क्वायड गठन के बाद से ही विवादों के घेरे में आ गया था। स्क्वायड के खिलाफ नौजवान युवक युवती गुस्से व रोष में थे। एक पत्रकार द्वारा की गई आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश के डीआईजी कार्यालय से सूचना दी गई कि

एंटी रोमियो स्क्वायड ने 22 मार्च 2017 से 30 नवंबर 2022 तक कुल 14454 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। असल मायने में देखा जाए तो यह स्क्वायड उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध को बढ़ाने वाला तथा विशेषकर लड़कियों की आजादी को छीनने वाला था। इसस्क्वायड के आने के बाद यूपी में अचानक से महिलाओं पर हिंसा की आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिलती। यह आंकड़ा 2017 से प्रतिदिन 153 मामलों पर था लेकिन 2019 में यह बढ़कर प्रतिदिन 164 पर चला गया।

## विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021

यह कानून भी असंवैधानिक कानून है जो महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार का हनन करने वाला है। महिलाओं को जीवन साथी चुनने के अधिकार एक बड़े आंदोलन के बाद मिला है। यह कानून वर्ण जाति धर्म की बंधन की दीवार को तोड़ने से बाधा उत्पन्न करने वाला है। यह कानून वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित कर महिलाओं को गुलामी की जंजीरों में पुनः धकेलने का एक प्रयास है। यह कानून मुस्लिम पुरुष व हिंदू महिला के प्रेम में बाधा उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। जिससे दो बालिक नवयुवक- नवयुवती को प्रेम करने से

रोका जा सके। यह कानून सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कानून है और एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह करता है तो लड़की की घर वापसी मानी जाएगी। वही अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्रेम विवाह करता है तो इसे कानूनी रूप से लव जिहाद का ग्राउंड माना जाएगा। इसके आधार पर लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के नाम पर लड़के को जेल भेजा जा सकता है। यह कानून की महिलाओं की यौनिक शुद्धता को बनाए रखते हुए यौनिकता पर नियंत्रण पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई मामलों में अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों में लड़के लड़कियों को सामाजिक हिंसा एवं राज्य की दमनात्मक नीतियों का सामना करना पड़ा है। जिससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं।

### ऑनर किलिंग

उत्तर प्रदेश ऑनर किलिंग के मामले में सबसे ऊपरी पायदान पर है। ऑनर किलिंग में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इसमें महिलाएं जिस परिवार में पली-बढ़ी हैं। उन्हीं के द्वारा ऑनर किलिंग का शिकार हो रही हैं। क्योंकि समाज में आज भी महिलाओं के चरित्र को परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-19 में लव अफेयर में ऑनर किलिंग के 145 सबसे अधिक मामले

देखने को मिलते हैं। जिसमें महिलाएं सबसे अधिक पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। इसमें महिलाएं अपने निजी संबंधियों के द्वारा हिंसा की शिकार होती हैं। ऐसे मामलों में उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति को बयां करती है।

### हिंसा अपराध के मामलों में महिलाओं की न्याय तक पहुँच

महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया ज्यादातर मामलों में संदेहजनक स्थिति में रही है। जिसमें निचली अदालतों ने अधिकतर मामलों में पुरुषों व उच्चजाति के अभियुक्तों के पक्ष निर्णय दिए हैं। भंवरी देवी के केस में भी निचली अदालत ने फैसला दिया था कि भंवरी देवी निचली जाति की है। जब उसे उच्च जाति के पुरुष छू नहीं सकता हैं तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार कैसे हो सकता है। इसी तरह 2002 में गुजरात दंगों के आरोपी बाबू बजरंगी ने एक स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकार करते हैं कि “वो मुस्लिम महिला प्रेग्नेंट थी। हमने उसका पेट चीर दिया था। उस महिला के कोख से बच्चे को निकालते हुए, मुझे खुशी की अनुभूति हो रही थी।” लेकिन यह कुख्यात आरोपी बाबू बजरंगी आज जमानत पर बाहर है। नारीवादी लेखक अरविंद कुमार जैन अपनी किताब

ला अग्रेस्ट वूमेन में भी कानूनों व कई केस के माध्यम से समझते हैं कि कानून कैसे महिलाओं के खिलाफ हैं। इसी तरह वर्तमान समय में हम उत्तर-प्रदेश में हाथरस गैंगरेप की वीभत्स घटना में देखते हैं कि किस प्रकार से योगी सरकार की पुलिस ने पावर का इस्तेमाल करके आधी रात्री में हाथरस गैंगरेप पीड़िता के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। जो मानवता को शर्मसार करने वाला था। यह एक प्रकार की राज्य प्रायोजित हिंसा थी। जिसमें कानून के सिपाहियों व रक्षकों ने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया था। लेकिन हाथरस पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों को अभी भी न्याय नहीं मिला है। अभी हाल में ही न्यायालय ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में गैंगरेप की घटना की पुष्टि नहीं हुई है।

ऐसे ही वर्तमान समय में लखीमपुर, बलरामपुर, उन्नाव और फाफामऊ के केस में न्यायालय व उत्तर प्रदेश की पुलिस का उदासीन रवैया देखने को मिला है।

### निष्कर्ष

महिलाओं के साथ हिंसा व अपराध की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य मशीनरी का चरित्र हमेशा से महिला विरोधी व सामंती रहा है। लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार

के नेतृत्व में आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखने को मिली है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध के अधिकतर मामलों में समाज व लोक-लाज के भय की वजह से FIR तक नहीं दर्ज हो पाती है। अगर इन मामलों को भी जोड़ दिया जाए तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह रूप में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जब हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध की घटनाओं के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि इसके पीछे सामंतवादी पितृसत्तात्मक संस्कृति मुख्य वजहों में से एक है। वहीं उत्तर-प्रदेश पुलिस का चरित्र महिलाओं के मुद्दों के प्रति असंवेदनशील स्थिति में देखने को मिलता है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में बैठे लोगों एवं पुलिस प्रशासन का महिलाओं व अन्य जेन्डर के प्रति संवेदनशील बनाए जाने व इसके प्रति जागरूकता का प्रसार करने की जरूरत है। महिला विरोधी संस्कृति को पोषित करने वाले विज्ञापनों, वेब सीरीज और धारावाहिक कार्यक्रमों यदि पर भी निगरानी रखते हुए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। महिलाओं के संरक्षण व सुरक्षा के लिए चाहे जितने भी कठोर कानून बना दिए जाएं, लेकिन जब तक महिलाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टि को नहीं अपनाया जाएगा तब तक महिलाओं के साथ हिंसा एवं अपराध की घटनाओं पर पूरी तरह से

रोक नहीं लगाई जा सकती है। कोई भी सामंती व ऊंच-नीच का भेद करने वाली संस्कृति महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकती है। समाज व परिवार के जनवादीकरण के बिना महिलाओं सहित सभी उत्पीड़ित तबकों के खिलाफ जुल्म व शोषण को नहीं समाप्त किया जा सकता है।

## सुझाव

1. महिलाओं पर बढ़ती हिंसा और अपराध की स्थिति को देखते हुए ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिसका सख्ती से पालन किया जा सके।
2. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके सभी मामलों में यथाशीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. पुलिस, न्यायालय सहित कानून व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं का जेंडर संवेदनशीलता के कार्यक्रम के माध्यम से सभी जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाने की योजना का सख्ती से पालन किया जाना की जरूरत है।
4. जेंडर के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने के लिए जेंडर संवेदनशील विज्ञापन, फिल्मों, धारावाहिक, नुक्कड़-नाटक, आदि के

माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

5. महिलाओं व जेंडर के प्रति हिंसा व अपराध को बढ़ावा देने वाली फिल्मों, वेबसीरीज, विज्ञापनों, आदि पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए।

## संदर्भ-ग्रंथ सूची

*National Crime Records Bureau. (2015-2021). Crimes in India 2015-2021. New Delhi: National Crime Records Bureau.*

National Commission for Women. (2020-2021). Annual report 2020-21. [NCW website] ([https://ncwapps.nic.in/pdfReports/Annual\\_Report\\_2020\\_21\\_English\\_Full.pdf](https://ncwapps.nic.in/pdfReports/Annual_Report_2020_21_English_Full.pdf)).

*National Commission for Women. (2021-22, 2022-23). Annual report 2021-22, 2022-2023. [NCW website] <https://ncw.nic.in/Annual-Report>*

Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2023). National Accounts Statistics 2023. National Accounts Statistics 2023-MOSPI.